भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

08.02.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1143 का उत्तर

उत्तर प्रदेश में रेलवे की अप्रयुक्त भूमि

1143. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रेलवे की भूमि का बड़ा क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां , तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्याह सरकार का विचार उक्त भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को पट्टे पर देने का है;

(घ) इस प्रयुक्त भूमि को राजस्व संग्रहण के लिए उपयोगी बनाने के साथ-साथ कमजोर वर्गों को लाभ प्रदान करने के अन्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(च) यदि हां , तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

उत्तर प्रदेश में रेलवे की अप्रयुक्त भूमि के संबंध में दिनांक 08 .02.2023 को लोक सभा में श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के अतारांकित प्रश्न संख्या 1143 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): कुल 4.86 लाख हेक्टेयर (लगभग) भूमि में से, भारतीय रेल के पास लगभग 0.62 लाख हेक्टेयर (लगभग) खाली भूमि है जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमि शामिल है।

अधिकतर यह भूमि रेलपथ के साथ संकीर्ण पट्टी के रूप में होती है। खाली पड़ी रेल भूमि का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(आंकड़े हेक्टेयर में)

क्षेत्रीय रेल	दिनांक 31.02.2022 की स्थिति के अनुसार खाली पड़ी भूमि
मध्य	1670.20
पूर्व	2014.23
पूर्व मध्य	4418.67
पूर्व तट	2221.22
उत्तर	11043.72
उत्तर मध्य	993.12
पूर्वोत्तर	5521.01
पूर्वोत्तर सीमा	13305.93
उत्तर पश्चिम	1298.62
दक्षिण	2493.79
दक्षिण मध्य	924.97
दक्षिण पूर्व	306.22
दक्षिण पूर्व मध्य	3419.16
दक्षिण पश्चिम	4888.69
पश्चिम	6348.61
पश्चिम मध्य	629.50

मेट्रो	0.11
उत्पादन इकाइयां	570.42
कुल	62068.19

(ग): दिनांक 04.10.2022 को "रेल भूमि प्रबंधन के लिए नीति " पर जारी किए गए मास्टर परिपत्र के अनुसार, रेल कार्य प्रणाली से असम्बद्ध प्रयोजन हेतु व्यक्तियों को दुकानों, वाणिज्यिक कार्यालयों, बिक्री स्टॉलों, क्लीनिकों, स्कूलों (केंद्रीय विद्यालयों के अलावा) और तहबजारी लगाने के लिए रेल भूमि पट्टे/लाइसेंस पर नहीं दी जाएगी।

(घ) से (छ): "रेल भूमि प्रबंधन के लिए नीति " पर मास्टर परिपत्र को दिनांक 04.10.2022 को जारी किया गया है जिसमें रेल कार्यप्रणाली, जन अवसंरचना, सरकारी विभागों, अस्पतालों, केंद्रीय विद्यालयों आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए रेल भूमि पट्टे पर देने के उपबंध शामिल हैं। नए कारगो संबंधी परियोजनाओं/सुविधाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपचार/पुनर्चक्रण, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र आदि के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के पारदर्शी पद्धति द्वारा रेल भूमि रेलवे के विशेष उपयोग के लिए पट्टे पर दी जाती हैं। महत्वपूर्ण अवसंरचना/जनोपयोगी सेवा परियोजनाओं के लिए, संबंधित मंत्रालय/विभाग/निकायों की विशिष्ट आवश्यकता पर भी रेल भूमि पट्टे पर दी जाती है। इसके अलावा, अतिरिक्त खाली भूमि वाणिज्यिक को विकसित करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपी जाती है। इसके अलावा, रेल भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए वृक्षारोपण और रेल कर्मचारियों को "अधिक अन्न उपजाओ योजना " जैसी पुरानी योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त खाली रेल भूमि को देने के लिए पुरानी का उपयोग किया जाता है।

राज्य सरकार/अन्य सरकारी विभागों से उनके उपयोग हेतु खाली रेल भूमि पट्टे पर देने हेतु नियमित रूप से कई अनुरोध प्राप्त किए जाते हैं। इन अनुरोधों पर रेल भूमि के प्रबंधन के लिए नीति के अनुसार विचार किया जाता है।

*****